अलावा भी हमारे देश में ओडिशा प्रदेश की बलांगीर जिले और बरगढ़ जिले के बीच में एक गंधमर्दन पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर दक्षिण साइड में भगवान नृसिंहनाथ का मंदिर है और उत्तर साइड में हमारे भगवान हरिशंकर का मंदिर है। गंधमर्दन के ऊपर त्रेता युग की कलाकृति है। वहां देवी सीता का कुंड है, हनुमान जी का कुंड है और गंगा कुंड भी है। इसके अलावा द्वापर युग का भीम मंडप है, भीम मरुआ है, भीम बाटी है, भीम गुफा है और पंच पांडव का कुंड है। वहाँ एक बड़ा झरना है, जिसमें एक पापनाशिनी झरना है। उस पापनाशिनी झरना को लोग गुप्त गंगा भी मानते हैं। इस गंधमर्दन पर्वत के ऊपर प्राकृतिक सौंदर्य हरा-भरा है, जो 19 हजार हेक्टेयर में फैला है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय ने उसको biodiversity heritage site घोषित किया था। यह जो प्राकृतिक heritage site है, उसमें एक हजार से ज्यादा plant species हैं, 500 से ज्यादा animal species और bird species हैं तथा reptile species भी हैं। उसके पास एक deer park है। वहाँ बरगढ़ जिले की साइट में गंधमर्दन पर्वत से एक नदी बहती है, जिसको ओंग नदी कहते हैं, वह अवस्थित है। इधर हमारे बलांगीर जिले में सुकटेल नदी प्रवाहित है। वहाँ 22 झरने हैं। वहाँ इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। ऐतिहासिक चीनी परिव्राजक, ह्वेन त्सांग ने हमारे गंधमर्दन पर्वत को परिमलगिरि नाम से वर्णित किया है। हमारा गंधमर्दन पर्वत एक ऐसी धरोहर है। उसके पास हरिशंकर मंदिर, नृसिंहनाथ मंदिर है। देश के साधु-संत, पर्यटक और तीर्थयात्री वहाँ आते हैं। वे नृसिंहनाथ से हरिशंकर और हरिशंकर से नृसिंहनाथ 20 किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं। इतनी सुंदर हमारी world heritage site है, जो national heritage site है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Niranjan Bishi (Odisha), associated himself with the matter raised by the hon. Member, Dr. John Brittas.

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद, माननीय निरंजन बिशी जी। माननीय डा. सिकंदर कुमार जी।

## Need to curb the use of pesticides in Agriculture

**डा. सिकंदर कुमार** (हिमाचल प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान कृषि कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले अतिरिक्त कैंसर के जोखिम की ओर दिलाना चाहता हूँ। कीटनाशकों ने उत्पादन की पैदावार को बढ़ा कर और तेजी से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के बीच खाद्य असुरक्षा को कम करने में मदद करके प्राथमिक कृषि को बदल दिया है, हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कीटनाशकों के संपर्क में आने से कई हानिकारक प्रभाव जुड़े हैं, जिनमें पार्किंसंस रोग, तंत्रिका संबंधी विकार, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य, कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ल्यूकेमिया, बच्चों और वयस्कों में लिम्फोमा और अग्नाशय का कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। सबसे ज्यादा जोखिम में वे लोग हैं, जो सीधे

कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं। इसमें कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले कृषि श्रमिक और कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान तथा उसके तुरंत बाद आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग शामिल हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे भविष्य में रासायनिक कीटनाशक उत्पादों को छोड़ कर जैविक कृषि उत्पादों की प्राथमिकता के महत्व को बढ़ाने के विषय पर गंभीरता से विचार करें, विषैले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाएँ और उनके उत्पादन, वितरण तथा उपयोग पर सख्त नियमन और नियंत्रण के लिए भी उचित व्यवस्था करें, जिससे प्रकृति पर आधारित एक ऐसी कृषि प्रणाली होगी, जिसमें न कैंसर का डर होगा और न ही अन्य बीमारियों की चपेट में आने का भय। इससे खेती की लागत घटेगी, किसान खुशहाल होंगे और हमारा पर्यावरण साफ-सुथरा होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद, माननीय डा. सिकंदर कुमार जी। माननीय श्री नरेश बंसल जी।

### Demand for censorship on Over The Top (OTT) platforms

**श्री नरेश बंसल** (उत्तराखंड): उपसभापति जी, ओटीटी पर सेंसरशिप होनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। हम चलते-फिरते मनोरंजन के युग में जी रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के तेजी से उभरने के बाद हम जब चाहें, जहाँ चाहें, अलग-अलग तरह के शो और कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बेकाबू हैं। फिल्मों के रिलीज से पहले उन्हें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर फिल्मों में कोई आपत्तिजनक संवाद या दृश्य हो, तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती है। सेंशरशिप एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग एरिया की तरह है। वहाँ हर चीज नजरों से होकर गुजरती है। वहाँ कैमरे